तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व वाद संख्या : 12/2024* *अनवान स्व. सीमरथाराम के वारीसान बनाम स्व जैरूपराम के वारिसान वगैरह* ***अर्न्तगत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-4-26	पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर वादी द्वारा पेश वाद को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षकारान् के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या एक ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया है कि ग्राम रोहिला खेड़ा वर्तमान राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डु के खसरा नंबर 61 62 63 33 35 एवं 53 भूमि का तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.08.1971 के अनुसार बंटवाडा हो चुका है तथा बंटवाडा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 19, 20 एवं 21 स्वीकृत किया गया है तथा इसी प्रकार ग्राम भाण्डु कला के खसरा नम्बर 187, 199, 53, 218, 310, 318, 324, व 330 की भूमि का भी तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.08.1971 के अनुसार बंटवाडा हो चुका है तथा बंटवाडा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 76, 77, स्वीकृत किया गया है। करीब 54 वर्ष पहले वादग्रस्त आराजी का पूर्व में पक्षकारों के बीच बंटवाडा हो चुका है। ऐसे में वादीगण को वादग्रस्त आराजी बंटवाडा हेतु वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वादीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण से उन्होनें प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के हिस्से की भूमि को गलत रूप से अपने कब्जा में होना एवं तरमीम न होना बताया है जबकि जिस भूमि का एक बार उनके हिस्सेदारों के मध्य भूमि का विभाजन हो चुका है तो उस विभाजित भूमि मुतालिक पुनः बंटवाडे का वाद लाने का वादीगण को कतई हक, अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय में मौजा रोहिला भाण्डु के खसरा नम्बर 53 स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पूर्व में पेश किया है, जो आज भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादीगण ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विभाजन हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 वादीगण की भूमि को जोर जबरदस्ती खुर्द बुर्द करना चाहते है। सच्चाई व वस्तुस्थिति भी यही है कि वादग्रस्त भूमि कतई अविभाजित नहीं रही है। बंटवाडा होने के पश्चात् पक्षकारान् अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन समय से सभी की सहमति से अमल दरामद किया गया है इस कारण भी वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने बंटवाडा के सबंध में तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.08.1971 को गलत होना मानते है तो उस आदेश को उन्हें तत्कालीन समय में अपील इत्यादि के जरिये चुनौती दी जानी चाहिए थी लेकिन वादीगण ने बल्कि 54 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात् वादग्रस्त विभाजित भूमि का पुनः बंटवाडा अनुसार तरमीम न होने का अभिकथन कर बंटवाडा हेतु मौजूदा वाद बदनियती से पेश किया है। वादीगण को ऐसा वाद लाने का कोई वादकारण पैदा नही हुआ है, न ही इस प्रकार का बंटवाडा का वाद कानूनन पोषणीय है। इस कारण वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है। इसलिए वाद वादीगण आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत विधि बाधित (बार्ड बाई लॉ) होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जावें। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	

इससे भी स्पष्ट ताईद है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में बंटवाडा हो चुका है वादीगण स्वयं उक्त भूमि का विभाजन होने का उक्त वाद में स्वीकार कर रहे है कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बंटवाडा हो चुका है तथा इस दावा में उसी भूमि का बंटवाडा न होने का उल्लेख कर रहे हैं।

इस संबंध में वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के प्रार्थना पत्र का जवाब देकर प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से पेष किया है। वादीगण द्वारा पेष वाद विधि विरूद्ध नहीं है तथा उपरोक्त वाद पेष करने हेतु वादकारण वाद के पद संख्या 16 में दिनांक 10.07.2023 को वादकारण पैदा होने स्पष्ट अंकन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जो भी तथ्य इस प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये हैं वे अपने बचाव के तथ्य हैं जो कि जवाबदावा के जरिये उक्त तथ्य पेष किये जाने चाहिये एवं विचारण दावा जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए साक्ष्य सुनवाई से ही निर्णीत किये जा सकते है। वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद विधि अनुरूप होने से वाद बाबत् अधिकारों की घोषणा, जोत का विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। वादीगण द्वारा यह कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का हक–हिस्सा निहित है जिनका वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य से साबित करना अवगत करवाया है।

हमने उभय पक्षकारान के तर्को पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन यह पाया जाता है कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा फॉर्म–3 के संलग्न न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 119/2022 अनवान नैनाराम वगैरह बनाम भभूतराम वगैरह की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें वादीगण ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि **"जो पूर्व में खसरा संख्या 53 व 53/1 एक साथ थे जिसका पूर्व में विभाजन हो जाने पर वादीगण 53/1 के खातेदार हुए तथा प्रतिवादी खसरा संख्या 53 के खातेदार बने। वक्त विभाजन से ही वादीगण खसरा नंबर 53/1 की भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है।"** जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विभाजन होना प्रतीत होता है। जमाबंदी 2079 अंतिम चौसाला आधार संवत 2076–2079 के राजस्व रैकड में भी वादीगण रैकर्डेड खातेदार दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा पहले ही हो चुका है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रैकर्ड में अलग–अलग दर्ज है। इसलिए वर्तमान वाद के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिती में वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी